अध्याय-IV
सामाजिक लेखापरीक्षा की अनुवर्ती कार्रवाई

4.1 अनुवर्ती कार्रवाई

सामाजिक लेखापरीक्षा पूरी नही होगी जब तक कि चिन्हित शिकायतों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई न की जाए। राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा में भाग लेने वाले लोगों के प्रति राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करे। नियमावली की धारा 7(4) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.2 जिला एवं ब्लाक स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई

मनरेगस अधिनियम 2005 के धारा 4(3) के पैरा 25(सी) (vii) अनुसूची I एवं पैरा 13.3.15 ओ.जी अनुबंध करता है कि *ग्राम सभा* की बैठक के बाद, ब्लॉक मुख्यालय मे मनरेगस श्रमिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए एक सामाजिक लेखापरीक्षा जनसुनवाई आयोजित होगी तथा सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर खुले में जो आदेश जारी होंगे उन्हे सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा जन सुनवाई के निष्कर्षों पर, प्रमुख एवं ब्लॉक पंचायत के सदस्यों के लिए उठायी गई शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय परामर्श का आयोजन होगा।

तथापि हमने पाया कि 11 राज्यों[41] में सामाजिक लेखापरीक्षा के पश्चात् ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त,

- **सिक्किम** में, 2014-15 के लिए 1053 उठाये गए मुद्दों में से, पीओ एवं डीपीसी द्वारा 584 मुद्दों का समाधान किया गया था।
- **उत्तर प्रदेश** में, सात मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई जबकि 16 नमूना जांचित जिलों में 444 मामले मार्च 2015 तक लंबित थे। इन मामलों में कोई दण्डात्मक कार्रवाई नही की गई थी।
- **ओडिशा** में, 2014-15 के दौरान 44 नमूना जांचित ब्लॉकों में 88 जन सुनवाई बैठकें आयोजित की जानी थी, जिसमे से केवल 45 बैठकें ही आयोजित की गईं।
- **महाराष्ट्र** में, 5 नमूना जांचित जिलों[42] में जहाँ जन सुनवाई हुई थी, ब्लॉक द्वारा प्रस्तुत का.रि. पर कोई कार्रवाई नही की गई थी।

अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के पश्चात् ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई का न होना एवं मुद्दे का समाधान न होना एवं जिला स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा पर की गई कार्रवाई की मॉनीटरिंग का अभाव जो सामाजिक

41 असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं थीं।

42 नागपुर,नांदेड़, नाशिक, पालघर एवं वर्धा

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए हानिकारक था।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2015) कि वह सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई पर मॉडल नियम जारी करेगा।

4.3 दुर्विनियोजित राशि की वसूली

नियमावली की धारा 7(3) (सी) अनुबंध करता है कि प्रत्येक डीपीसी या अन्य कोई कर्मचारी उनकी ओर से गबन की गई राशि या अनुचित रूप से प्रयुक्त राशि के वसूली के लिए कदम उठायेगा तथा इस प्रकार वसूली गई राशि के लिए एक अलग बैंक खाता अनुरक्षित करेगा।

यद्यपि हमने पाया कि सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित की गई दुर्विनियोजित राशि के एक महत्वपूर्ण भाग की अभीभी वसूली की जानी थी, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है। :

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	दुर्विनियोजित राशि	वसूली गई राशि	शेष	वसूली की प्रतिशतता
1.	आंध्रप्रदेश	54.41	19.55	34.86	36
2.	तेलंगाना	54.01	16.35	37.66	30
3.	उत्तर प्रदेश	3.44	0.03	3.41	1

इसके अलावा, इस प्रकार वसूल की गई राशि के लिए कोई अलग बैंक खाता अनुरक्षित नही किया गया था।

4.4 राज्य स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई

नियमावली की धारा 7(4) अनुबंध करता है कि सामाजिक लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त नियम के धारा 7(5) के अनुसार, राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस.इ.जी.सी) राज्य द्वारा की गई कार्रवाईयो की मॉनीटरिंग करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल करेगी।

हमने पाया कि 25 राज्यों की पुनरीक्षण में से, एसईजीसी पांच राज्यों[43] में गठित नही थी। एसइजीसी, यघपि 18 राज्यों[44] में गठित थी, राज्य सरकार द्वारा एसएआर पर की गई कार्रवाई का मॉनीटर नही कर रही थी तथा केवल दो राज्यों अर्थात् **राजस्थान** एवं **सिक्किम** में, एसईजीसी ने एसएआर पर राज्य सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की विधिवत मॉनिटरिंग की थी।

यह राज्य स्तर पर एसएआर पर की गई कार्रवाही के खराब मॉनिटरिंग को दर्शाता है।

4.5 सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के सारांश का नि.एवं म.ले.प को प्रस्तुतीकरण

नियमावली धारा 3(2) अनुबंध करती है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सामाजिक

43 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं तेलंगाना

44 असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओड़िशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का सारांश राज्य सरकार द्वारा नि.म.ले.प. को प्रस्तुत किया जाएगा।

हमने सभी चयनित राज्यों में पाया कि सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के सारांश को नि.म.ले.प को प्रस्तुत नही किया गया था।

4.6 सामाजिक लेखापरीक्षा पर कार्रवाई संसद को प्रस्तुतीकरण

ओजी का पैरा 13.4.5 तथा 13.4.7 अनुबंध करता है कि राज्य विधानसभा तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक प्रतिवेदन में एस.ए.आर. पर की गई कार्रवाई सम्मिलित होनी चाहिए। यद्यपि हमने पाया कि राज्य विधानसभा तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक प्रतिवेदन में एस.ए.आर. पर की गई कार्रवाई को शामिल नही किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि राज्यों से कहा जायेगा कि वे नियमावली के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करें। तथापि मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन में ए.टी.आर. को शामिल करने के संबंध में मौन रहा।

4.7 निष्कर्ष

सामाजिक लेखापरीक्षा ब्लॉक स्तर जनसुनवाई अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए संगठित नही की गई थी। जिला कार्यक्रम समन्वयक ने एसएआर पर की गई कार्रवाई की समीक्षा नही की थी। राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने एसएआर पर की गई कार्यवाई को मॉनीटर नही किया। राज्य सरकारें भी एस.ए.आर. के निष्कर्षों के सारांश को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करने में असफल रही। न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने सबंधित राज्य विधायिका तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक प्रतिवेदनों में एसएआर पर की गई कार्रवाई को सम्मिलित किया था।

4.8 अनुशंसा

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

नई दिल्ली
दिनांक : 04 मार्च 2016

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 04 मार्च 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक